12.09.25 पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित। हमने वकील उभय पक्ष को सुना गया। बहस उभय पक्ष को श्रवण किया गया। प्रार्थी वकील द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 27.09.19 से बाद मुतनाजा आराजी की मौका स्थिति बनाये रखने बाबत अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया था किन्तु ~~अप्रार्थी~~ अप्रार्थीगण खसरा नं. 493 रकबा 0.19 हे० बाके ग्राम माहीसर पर पुख्ता निर्माण करना चाहते है। तथा नोटिस रिपोर्ट दिनांक 3.11.23 को मौके की स्थिति में परिवर्तन कर दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 39 R 2 A जा.दी. स्वीकार किया जाकर गैर सायलान के विरुद्ध न्यायोचित कार्यवाही करने बाबत प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में जो अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र की अधिकतर मदों को नकारते हुए अवगत कराया है कि जो निर्माण खसरा नं. 493 में किया गया है वह पूर्व में ही किया गया है। न्यायालय के आदेश के बाद कोई निर्माण नहीं किया गया है।

—— [illegible]

तथा गैर आवेदक द्वारा माननीय
न्यायालय SO x RAA राजस्व
के निर्णय दिनांक 5.3.25 की
प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत
की गई है जिसमें न्यायालय
द्वारा के आदेश दिनांक 27.12.24
की पालना सुनिश्चित की गई

अतः जब न्यायालय द्वारा
के स्थगन आदेश दिनांक 27.12.24
को stay किया जा चुका है तो इस
प्रार्थना-पत्र आदेश 39 नियम 2A
अवहेलना को और आगे चलाया जाना
उचित नहीं पाते हैं।

अतः प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत
धारा आदेश 39 नियम 2A जा०
दी खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर
बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर
हो। निर्णय आज दिनांक 12.09.25
को लिखाया जाकर खुले इजलास में
सुनाया गया।

राधेश्याम मीणा
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर) राज०
भुसावर